न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक : I/निगरानी/विदिशा/2017/2805

कंछेदीलाल आत्मज पूरन, वयस्क
निवासी – ग्राम ओलिंजा, तहसील ग्यारसपुर,
ज़िला विदिशा ..... **प्रार्थी**

विरूद्ध

रामचरण आत्मज घासीराम, वयस्क
निवासी – ग्राम ओलिंजा, तहसील ग्यारसपुर,
ज़िला विदिशा ..... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2017, जो प्रकरण क्र. 90/अपील/2015–16 में न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील ग्यारसपुर, ज़िला विदिशा द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ओलिंजा, तहसील ग्यारसपुर, ज़िला विदिशा स्थित भूमि भूमि खसरा क्र. 30, 31, 33, 37 एवं 38, कुल किता 05, कुल रकबा 2.82 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज़ थी।

03. यह कि, मौके पर उभय पक्ष का अपने–अपने हिस्से की भूमि पर बहिस्सा बराबर में कब्ज़ा चला आ रहा था, जिसके आधार पर उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति से ग्राम ओलिंजा की नामांतरण पंजी क्र. 06 पर पारित आदेश दिनांक 03.05.2005 के द्वारा विधिवत् बंटवारा स्वीकृत किया गया है।

कन्छेदीलाल

ब्रज विहारी श्रीवास्तव
निरंतर ... एडवोकेट
24, हरि निवास " दुर्गा चौक"
तलैया, भोपाल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2805

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 90/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम औलिंजा की नामांतरण पंजी क्र. 06 आदेश दिनांक 03.05.2005 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के समक्ष अपील पेश की गई एवं साथ ही धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2017 द्वारा धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आलोच्य आदेश पारित किए जाने के पूर्व इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि नामांतरण पंजी क्र. 06 जिसका प्रमाणीकरण दिनांक 03.05.2005 को कया गया, पर प्रतिप्रार्थी के सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में उसे आदेश दिनांक 03.05.2005 की जानकारी दिनांक 03.05.2005 से ही है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया और नियम के विपरीत होने से माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किए जाने योग्य है। 4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-5 के आवेदन को अंदर म्याद मानकर स्वीकार किया गया है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलबध है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	